

7 अल्पविराम– अहमदाबाद

सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर संगोष्ठी का आयोजन किया

केन्द्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन को लेकर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया।इस संगोष्ठी में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हुए। संगोष्ठी का शुरुआत केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री राधा कृष्ण माथुर के सम्बोधन के साथ हुआ। श्री माथुर ने पिछले कुछ सालों के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग में लॉबित मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला और आयोग में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और उसका सहुपयोग करने को दिशा में कार्य करने के बारे में भी बताया।

सूचना आयुक्त प्रो. एम. श्रीधर आचार्युलु ने आपने सम्बोधन में गिरीश आर देशपांडे व अन्य मामलों का उदाहरण देते हुए सार्वजनिक कर्मियों को गोपनीयता के दायरे पर विस्तार से चर्चा की। कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) के निदेशक श्री संजय हज़ारिका ने 'अधिक प्रोफेशनल पत्रकारिता के एक हथियार के तौर पर आरटीआई' से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सुश्री अंजलि ने आरटीआई कानून से जुड़े विभिन्न फैसलों के बारे में जानकारी दी। सुश्री अमृता जोहरी ने 'आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी आई

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी आई 18 मई, 2017 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 35.622 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 23 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 123 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 104 प्रतिशत है। 11 मई को समाप्त हुए सप्ताह के अंत में यह 24 प्रतिशत थी।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 253.388 बीसीएम का लगभग 62 प्रतिशत है।इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावॉट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ देते हैं।

क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति उत्तरी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.25 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 24 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 21 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 28 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है, लेकिन पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से यह कमतर है।

पूर्वी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 5.88 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 31 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 25 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 20 प्रतिशत था। इस तरह

संपादक- चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल- 201, 202, 208 नंदन कॉम्प्लेक्स, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी-4, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779. E: alpaviram1@yahoo.com

आकलन' विषय पर संबोधित किया। आरटीआई कार्यकर्ता श्री एस. सी. अग्रवाल ने अपने आवेदकों द्वारा किए जाने वाले आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में अनुभव के आधार पर विस्तार से जानकारी दी। सीएचआरआई के श्री वैकटेश नायक ने आरटीआई न्यायशास्त्र में कुछ विरोधात्मक घटनाओं पर प्रकाश डाला। महिति अधिकार गुजरात पहल की सुश्री पंकि जोग ने आरटीआई के जरिए दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला।

श्री बी. एच. वीरेश ने कर्नाटक में टिकट और पंजीकरण विभाग में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए महिथि हक्कु अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में संगोष्ठी में मौजूद लोगों को बताया। यूपी स्टेट रिसॉर्स पर्सन (आरटीआई) के श्री राजेश मेहतानी ने उत्तर प्रदेश में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में हुए विकास पर प्रकाश डाला। बीएसएनएल के श्री दीपक सिंह ने आरटीआई अधिनियम की धारा ३५ में संशोधन के मुद्दे के बारे में विस्तार से बताया। वार्डिएएसएचडीए की एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री दीपा सादेकर देशपांडे ने महाराष्ट्र में आरटीआई अधिनियम से जुड़ी कुछ सफलताम घटनाओं एवं कहानियों पर प्रकाश डाला।

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी आई

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी आई 18 मई, 2017 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 35.622 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 23 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 123 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 104 प्रतिशत है। 11 मई को समाप्त हुए सप्ताह के अंत में यह 24 प्रतिशत थी।

पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 27.07 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 7.19 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 27 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 15 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 27 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण के बराबर है।

मध्य क्षेत्र मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 14.27 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 34 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 26 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 21 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है, जबकि भूमि उपयोग में फेरबदल (उदाहरणार्थ वनस्पतियों की सफाई) या खेती जैसी गतिविधियों से गाद बढ़ सकती है। ऐसे में अंधाधुंध गाद हटाने से पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रवाह को अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिये गाद हटाने के

गंगा से गाद निकालने के लिए चितले समिति ने कई उपाय करने की सिफारिश की

गंगा से गाद निकालने के लिए चितले समिति ने कई उपायों की सिफारिश की है, जिनमें गाद हटाने के कार्य के लिए वार्षिक गाद बजट से सबसे अधिक गाद हटाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, पहले हटाई गई तलछट/गाद के बारे में बताते हुए वार्षिक रिपोर्ट(रेत पंजीयन) तैयार करना और तलछट बजट बनाने का कार्य एक तलनीकी संस्थान को सौंपा जा सकता है, आकृति और बाढ़ प्रवाह का अध्ययन जिसमें सबसे अधिक गाद वाले स्थान पर विस्तार से जानकारी दी। सीएचआरआई के श्री वैकटेश नायक ने आरटीआई न्यायशास्त्र में कुछ विरोधात्मक घटनाओं पर प्रकाश डाला। महिति अधिकार गुजरात पहल की सुश्री पंकि जोग ने आरटीआई के जरिए दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला।

श्री बी. एच. वीरेश ने कर्नाटक में टिकट और पंजीकरण विभाग में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए महिथि हक्कु अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में संगोष्ठी में मौजूद लोगों को बताया। यूपी स्टेट रिसॉर्स पर्सन (आरटीआई) के श्री राजेश मेहतानी ने उत्तर प्रदेश में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में हुए विकास पर प्रकाश डाला। बीएसएनएल के श्री दीपक सिंह ने आरटीआई अधिनियम की धारा ३५ में संशोधन के मुद्दे के बारे में विस्तार से बताया। वार्डिएएसएचडीए की एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री दीपा सादेकर देशपांडे ने महाराष्ट्र में आरटीआई अधिनियम से जुड़ी कुछ सफलताम घटनाओं एवं कहानियों पर प्रकाश डाला।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भूमि कटाव, तलछट की सफाई और गाद अति जटिल घटनाएं हैं। तलछट प्रबंधन और नियंत्रण के लिए 'सभी के लिए एक प्रकार' का रूख अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह मामले अधिकतर क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं। भौगोलिक, नदी नियंत्रण संरचनाएं, मृदा और जल संरक्षण उपाय, वृक्षों की संख्या, नदी के तट की भूमि का उपयोग या उसमें फेरबदल (उदाहरण के लिए कृषि, खनन आदि) जैसे स्थानीय कारकों का नदी के तलछटी के भार पर काफी प्रभाव पड़ता है।नदी नियंत्रण संरचनाओं (जैसे जलाशयों), मृदा संरक्षण उपायों और तलछट नियंत्रण कार्यक्रमों से गाद कम जमा हो सकती है, जबकि भूमि उपयोग में फेरबदल (उदाहरणार्थ वनस्पतियों की सफाई) या खेती जैसी गतिविधियों से गाद बढ़ सकती है। ऐसे में अंधाधुंध गाद हटाने से पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रवाह को अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिये गाद हटाने के

अहमदाबाद मण्डल पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया

अहमदाबाद मण्डल पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया

अहमदाबाद मण्डल पर राष्ट्रहित में सभी प्रकार की हिंसा एवं आतंकवाद से निपटने एवं सामाजिक बंधुत्व व आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने हेतु आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ का आयोजन किया गया। मण्डल कार्यालय

लिये दिशा निर्देश और बेहतर व्यापक सिद्धांत तैयार करने की आवश्यकता है, जिन्हें गाद हटाने की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के समय ध्यान में रखा जाना चाहिये।

गंगा नदी जलविज्ञान, तलछट और प्राकृतिक नदी तल तथा तट के झुकाव के अनुरूप स्वयं का संतुलन हासिल करने का प्रयास करती है। बाढ़ के स्तर को नियंत्रित करने के लिए नदी के साथ बाढ़ के लिये पर्याप्त मैदान और झीलें उपलब्ध कराना आवश्यक है। बाढ़ के मैदान पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, झीलों का सुधार या नदी से झीलों का संपर्क-पाटने से बचना चाहिए, बल्कि आस-पास की झीलों/गड्ढों से गाद हटाकर उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। झीलों से गाद इस तरह हटाई जानी चाहिए कि तलछट की रिनरेशन को कायम रखा जा सके और उसका वह तट नहीं कटना चाहिए, जो रिवर क्रॉसिंग के लिये अपर्युक्षित हो सकता है। स्थानीय स्तर पर पानी का अतिग्रहण या नदी प्रशिक्षण नीचे या उपर की ओर होता है।

बैराज / पुल जैसे निर्माण कार्यों के कारण गाद भरने से नदी का रूख भटक जाता है। नदी की आकारिकी को प्रभावित किए बिना उचित मूल्यांकन के बाद संबंधित नदी प्रशिक्षण, बहाव रोक कर निर्माण कार्य और निर्माण स्थल के पास अतिरिक्त जलमार्ग के प्रावधान को आजमाया जा सकता है। विकास के बाद ऑक्सीको झीलों के रूप में शेष बचे क्षेत्र का उपयोग अन्य प्रयोजनों के बजाय बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए।

यदि संकुचन के कारण व्यापक गाद जमा हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्व चयनित प्रवाह में गाद हटाने का काम काफी गहराई में किया जा सकता है, ताकि मुख्य धारा को सही दिशा दी जा सके। वैकल्पिक में निकली सामग्री को ऐसे नैकल्पिक प्रवाह में डंटा किया जा सकता है, जिसे तट का कटाव टालने के लिए बंद करने का इरादा है। इसी तरह एक ऐसे स्थिर प्रवाह के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो न तो अपतटीय या उपतटीय प्रवाह पर असर डालता हो। मेड़ एवं बांधों के आसपास गाद को निरंतर जमा करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

कटाव, प्रवाह और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक नियमन कार्य हैं और नदी का तलछट संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

नदियों में प्रवाह में बिना किसी बाधा के बाढ़ के लिये पर्याप्त मैदान (पार्ष्व संपर्क) प्रदान किया जाना चाहिए।

गाद हटाने की बजाय गाद के लिये रास्ता दें की रणनीति अपनायी जानी चाहिए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रेत खनन के दिशानिर्देशों के अलावा गंगा नदी में गाद हटाने के कार्यों के विशिष्ट संदर्भ में

समिति ने निम्नलिखित जीएसआई दिशानिर्देशों का सुझाव दिया है, जो वैधानिक हैं

गंगा नदी जलविज्ञान, तलछट और प्राकृतिक नदी तल तथा तट के झुकाव के अनुरूप स्वयं का संतुलन हासिल करने का प्रयास करती है। बाढ़ के स्तर को नियंत्रित करने के लिए नदी के साथ बाढ़ के लिये पर्याप्त मैदान और झीलें उपलब्ध कराना आवश्यक है। बाढ़ के मैदान पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, झीलों का सुधार या नदी से झीलों का संपर्क-पाटने से बचना चाहिए, बल्कि आस-पास की झीलों/गड्ढों से गाद हटाकर उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। झीलों से गाद इस तरह हटाई जानी चाहिए कि तलछट की रिनरेशन को कायम रखा जा सके और उसका वह तट नहीं कटना चाहिए, जो रिवर क्रॉसिंग के लिये अपर्युक्षित हो सकता है। स्थानीय स्तर पर पानी का अतिग्रहण या नदी प्रशिक्षण नीचे या उपर की ओर होता है।

बैराज / पुल जैसे निर्माण कार्यों के कारण गाद भरने से नदी का रूख भटक जाता है। नदी की आकारिकी को प्रभावित किए बिना उचित मूल्यांकन के बाद संबंधित नदी प्रशिक्षण, बहाव रोक कर निर्माण कार्य और निर्माण स्थल के पास अतिरिक्त जलमार्ग के प्रावधान को आजमाया जा सकता है। विकास के बाद ऑक्सीको झीलों के रूप में शेष बचे क्षेत्र का उपयोग अन्य प्रयोजनों के बजाय बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए।

यदि संकुचन के कारण व्यापक गाद जमा हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्व चयनित प्रवाह में गाद हटाने का काम काफी गहराई में किया जा सकता है, ताकि मुख्य धारा को सही दिशा दी जा सके। वैकल्पिक में निकली सामग्री को ऐसे नैकल्पिक प्रवाह में डंटा किया जा सकता है, जिसे तट का कटाव टालने के लिए बंद करने का इरादा है। इसी तरह एक ऐसे स्थिर प्रवाह के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो न तो अपतटीय या उपतटीय प्रवाह पर असर डालता हो। मेड़ एवं बांधों के आसपास गाद को निरंतर जमा करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

कटाव, प्रवाह और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक नियमन कार्य हैं और नदी का तलछट संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

नदियों में प्रवाह में बिना किसी बाधा के बाढ़ के लिये पर्याप्त मैदान (पार्ष्व संपर्क) प्रदान किया जाना चाहिए।

गाद हटाने की बजाय गाद के लिये रास्ता दें की रणनीति अपनायी जानी चाहिए।

आईडिया द्वारा हाई डेटा युज करनेवाले ग्राहको के लिए फ्लिपकार्ट पर ऑफर

भारत में मोबाइल इन्टरनेट के प्रति वचनबद्ध अंगर्गत आईभी सेल्युलर ई कोमर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी में वेस्ट सेलिंग आकर्षक ऑफर पेश करता हैं। जिसमें वेस्ट सेलिंग 4 जी स्मार्ट फोन के रेन्ज में एक्सक्लुजीव ऑफर हैं।

आईडिया के प्रिपेइड कस्टमर जो 4 जी में अपग्रेड करेंगे उनके लिए खास रू. 365 का रिचार्ज और 11 में बड़ा डेटा लाभ हैं। स्मार्टफोन के चयन की श्रेणी में आकर्षक ऑफ़ उपरांत विशेष एक्सचेन्ज ऑफर और केश बैक ऑफर

‘अणु उर्जा – राष्ट्र की उर्जा’ विषय पर निबंध लेखन स्पर्धा

उर्जा के महत्व के बारे में जागृता फैलाने हेतु और परमाणु उर्जा संबंधित गेरमान्यता दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले एक अभियान के हिस्से के तौर पर प्राथमिक कन्या स्कूल, पे सेन्टर स्कूल, रसनोल गांव, रसनोल, गुजरात में बच्चो के लिए स्वच्छ एवं प्रुन पर्यावरण पर लेखन स्पर्धा का आयोजन कीया गया। लेखन स्पर्धा का विषय ‘अणु उर्जा

करने की जरूरत है। इसके तहत गाद के कारण आई बाढ़ के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के साथ-साथ बाढ़ में कमी लाने के वैकल्पिक उपायों की तकनीकी तुलना की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत ‘कुछ न करो’ अथवा प्रस्तावित गाद समाधि/निकर्षण अन्य विकल्प के रूप में होने चाहिए। इसके साथ ही तलछट प्रवाह के अध्ययन और रूपात्मक अध्ययन किये जाने चाहिए, ताकि रिवर क्रॉसिंग, जल ग्रहण, मौजूदा नदी तट/बाढ़ संरक्षण उपायों समेत नदी की अपतटीय एवं उपतटीय पहुंच पर कोई खास प्रतिक्रिया प्रभाव न पड़े।

संगम वाले स्थानों, विशेष रूप से भारी गाद अपने साथ ले जाने वाली सहायक नदियों जैसे कि घाघरा, सोन इत्यादि से गाद हटाना आवश्यक हो सकता है, जिससे कि संगम वाले स्थलों को जल के लिहाज से दुरुस्त किया जा सके।

मुख्य नदी गंगा और इसकी सहायक नदियों के ऊपरी प्रवाह में अवस्थित जलाशयों का संचालन कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए, जिससे कि भारी गाद वाली प्रथम बाढ़ को गौर भंडारण के ही गुजरने दिया जा सके और मानसून के बाद वाली प्रथम बाढ़ को गौर भंडारण के ही गुजरने दिया जा सके और मानसून के बाद वाले चरणों में नदी के प्रवाह का संचयन केवल गैर-मानसून सीजन के दौरान इस्तेमाल के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए इष्टतम जलाशय के बाद वाले चरणों में नदी के प्रवाह का संचयन केवल गैर-मानसून सीजन के दौरान इस्तेमाल के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए इष्टतम जलाशय परिचालन हेतु निर्णय सहायता प्रणाली की स्थापना करने के साथ-साथ मात्रात्मक दीर्घकालिक पूर्वानुमान की आवश्यकता पड़ेगी।

नदियों में बाढ़ वाले मैदानी इलाकों में खेती-बाड़ी कुछ इस तरह से की जानी चाहिए, जिससे कि बाढ़ के पानी के प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न न हो सके।

धारा के प्रवाह में बेहतरी से जुड़े कार्य शुरू करने के लिए नदी के आकार संबंधी अध्ययन किये जाने चाहिए। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपतटीय प्रवाह खोलने से गाद हटने का काम स्वत हो सके। अपतटीय प्रवाह धीमी गति से होना चाहिए, ताकि वनस्पतियों और जीवों को नया आश्रय स्थल पाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

प्रस्ताव में पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य और व्यावहारिक दृष्टि से समुचित गाद निपटान योजना का उल्लेख होना चाहिए। नदी में उपस्थित बजरी/रेत/गाद का समुचित उपयोग आवास, सड़कों, बांध एवं भूमि दुरुस्तीकरण कार्यों सहित निर्माण कार्यों में किया जा सकता हैं। किसी भी सूरत

में गाद की वजह से नदी-तालाबों में प्रदूषण नहीं होना चाहिए और निपटान स्थलों के आसपास मौजूद वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हटाई गई गाद फिर से नदी में वापस न आ जाए।

फरक्का बांध के आगे जमा गाद से जुड़े विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि वहां पर बनी उथली जगहों से गाद हटाई जा सकती है/निकर्षण किया जा सकता है। और इस दौरान इसके आसपास चल रहे नदी प्रशिक्षण कार्यों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। हटाई गई तलछट का उपयोग फरक्का फोडर नहर की फिर से ग्रेडिंग किये जाने और बांध संबंधी तालाब के चारों ओर बने तटबंधों को मजबूत करने में किया जा सकता है। आवश्यक अध्ययन करने के बाद उपतटीय स्थल से अपतटीय स्थल की ओर तलछट का प्रवाह जारी रखने के लिए ऐसे जट गति से बाहर निकालने का काम किया जा सकता है। बांध संबंधी तालाब से गाद हटाने/निकर्षण के कार्यों से बांध को कोई ढांचागत क्षति नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए अपतटीय स्थल के अत्यधिक कटाव से बचने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए निकर्षण के कार्य को नदी-तालाब के मूल तल अथवा उससे ऊपर की ओर ही सीमित रखा जाएगा।

बांध/तटबंधों के ढांचों के अपतटीय स्थल तक तलछट का सुरक्षित ढंग से आगमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि तलछट संबंधी संतुलन को बरकरार रखा जा सके। गंगा नदी से गुजरने वाले किसी भी पुल, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बहाव

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने आईआईटी पलक्कड़ के निर्माण स्थल का दौरा किया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चहेन्द्र नाथ पांडे ने कल पलक्कड़(केरल) के पुडुसेरी (पश्चिम) में आईआईटी पलक्कड़ के स्थायी परिसर स्थल का दौरा किया। मंत्री महोदय ने वहां ट्रांजिट परिसर और मैदान की दीवार के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आईआईटी पलक्कड़ के निदेशक प्रोफेसर पी बी सुनील कुमार और जिलाधीश श्रीमती मैरीकुट्टी भी थीं। मंत्री महोदयने निर्माण कार्य की प्रगति

(सामान्य गहराई के एक फीसदी से ज्यादा) उत्पन्न होता है, में कुछ इस तरह से बदलाव किया जाना चाहिए, जिससे कि बहाव में कमी सुनिश्चित हो सके। इससे तलछट जमा होने के साथ-साथ अपतटीय स्थल पर तटों का कटाव कम हो सकेगा।

निकर्षण/गाद हटाने/खनन गतिविधियों से कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि (क) नदी तल का नीचे की ओर जाना (ख) तट का कटाव (ग) प्रवाह का चौड़ा होना (घ) नदी प्रवाह में उथले जल स्तर का नीचे की ओर आना (ङ) नदी के आसपास स्थल उथले जल स्तर का नीचे की ओर आना (च) पुलों, पाइपलाइनों, जैटी, बांधों, मेड़ इत्यादि की ढांचागत मजबूती में कमी आना (छ) पर्यावरणीय नुकसान होना।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री की अगुवाई वाले गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय एवं कार्यकारी प्रोफे़ड, जिसमें गंगा नदी बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) के सदस्य भी शामिल हैं, को गंगा नदी में तलछट प्रबंधन के बारे में आवश्यक अध्ययन करने और इसके साथ ही गंगा नदी के समस्त उप बेसिनों के लिए तैयार की गई अपनी व्यापक नीतियों में तलछट प्रबंधन रणनीतियों को शामिल करने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जा सकता है। इन एकीकृत योजनाओं का उपयोग गंगा नदी से जुड़े कार्यों के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि तलछट संबंधी संतुलन को बरकरार रखा जा सके।

गंगा नदी से गुजरने वाले किसी भी पुल, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बहाव

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने आईआईटी पलक्कड़ के निर्माण स्थल का दौरा किया

डेल ने भारत में गेमींग पोर्टफोलियो की लोन्चिंग की



अग्रणी टेक्नोलोजी कंपनी डेल ने भारत में अपने गेमींग पोर्टफोलियो के लोन्च की घोषणा की है। भारत में गेमिंग की दुनिया में हो रहे विकास को देख डेल ने गेमर्स के लिए सबसे बड़े , सबसे वर्सेटािल गेमिंग पोर्टफोलियो पेश किया । इस पोर्टफोलियो में सीईएस 2017 इन्वेेशन अवार्ड ओनरी गेमींग केटेगरी , व्हीआर – रेडी एलाइन वेअर 15 एवं एलेनवेयर 17 तथा नये इन्स्पिरोन गेमिंग लेपटोप रेन्ज शामिल हैं । इस आक्रमक प्रदर्शन डिजाइन एवं श्रेणी में सर्वोत्तम घटकों के साथ बनाया गया है।

इस लोन्चिंग पर पी. कृष्णकुमार , वाइस प्रेसिडेन्ट, कन्ज्युमर एवं स्मॉल

विजनेस डेल इंडिया ने बताया कि वर्तमान में गेमिंग तेजी से मुख्यधारा में आ रहा है और एलियनवेयर गेमर के दिमाग में हमेशा शीर्ष पर रहा है। इस मजबूक एवं व्यवहारिक गेमिंग पोर्टफोलियो के लोन्च के साथ कोई भी केज्युअल अथवा एक्टिव गेमर की शानदार गेमींग का अनुभव करने के लिए अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अलेन जो जोस , डायरेक्टर गेमिंग लेपटोप रेन्ज शामिल हैं । इस आक्रमक प्रदर्शन डिजाइन एवं श्रेणी में सर्वोत्तम घटकों के साथ बनाया गया है।

<p>सूचना</p>
<p>कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई-मेल पर ही भेजे :</p>
<p>alpaviram@gmail.com</p>
<p>विजेता १ : योगेश सोलंकी, कक्षा ८</p>
<p>विजेता २ : आकाश परमार, कक्षा ८ (19-10)</p>